न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,- कोटा

अपील संख्या : 16/320

श्रीमती कृष्णा कुमारी पारीक पत्नी डा0 (वैद्य) कुंज बिहारी पारीख जाति ब्राह्मण निवासी चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–

1. ललिता कुमारी पुत्री कुंजबिहारी ।
2. चन्द्रप्रकाश पुत्र कुंजबिहारी ।
3. विजय लक्ष्मी पुत्री कुंजबिहारी ।
4. वेद भूषण पुत्र कुंजबिहारी जाति ब्राह्मण निवासी चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. लालचन्द आत्मज उदा जी जाति लोधा निवासी कंवरपुरा ।
2. रूपचन्द आत्मज उदा जी जाति लोधा निवासी कंवरपुरा ।
3. सांवर लाल आत्मज उदा जी जाति लोधा निवासी कंवरपुरा ।
4. राधाबाई पुत्री उदा जी जाति लोधा निवासी कंवरपुरा ।
5. छोटी बाई पुत्री उदा जी जाति लोधा निवासी कंवरपुरा ।
6. जानी बाई पुत्री उदा जी जाति लोधा निवासी कंवरपुरा ।
7. गुलाब बाई पत्नी उदा जी जाति लोधा निवासी कंवरपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
8. मंगीलाल आत्मज मथुरा लाल जाति लोधा निवासी गुडाला हाल हरी मोहन जी का कुआ रावत भाटा रोड, कोटा ।
9. रामदेव आत्मज धूली लाल माली निवासी गुडाला ।
10. डॉ0 कुजबिहारी पारीख वैद्य जी निवासी चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
11. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री जितेन्द्र नामा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री बी0सी0 मालवीय, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 20.02.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 7 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम गुडाला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा में खाता संख्या 04 की खसरा नम्बर 632 की रकबा 1.62 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा कर लिया तथा वादीगण को काश्त नहीं करने दे रहे हैं । प्रतिवादीगण की आराजी वादीगण की आराजी से लगी हुई है । इस कारण उक्त आराजी को उनकी आराजी से मिला कर कब्जा कर लिया है । वादीगण के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करे कि वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर वादीगण को दखल दिलाया जावे ।

3. अतः वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर वादीगण को दखल दिलाया जावे तथा वादीगण को बतौर हर्जा खर्चा 10,000/– रूपये प्रतिवर्ष के हिसाब से दिलवाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एंव डिक्री दिनांक 12.06.2015 के द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.06.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण ने अपने वाद में कहीं भी यह अंकित नहीं किया है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 632 उसके खाते की भूमि है उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी डिक्री किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण के बयान लेखबद्ध किये बिना ही प्रकरण को लोक अदालत में रखते हुए प्रतिवादी क्रम 2 व 3 को सुने बिना वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 से मिली भगत कर राजीनामा अकेले उनकी ओर से पेश करवा कर दावा डिक्री करवा लिया जो कानून विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का पेश कर निवेदन किया कि वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की पालना में पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट की भूमि जो वादीगण की भूमि के पास स्थित है को अपनी भूमि बताकर अपीलान्ट को बेदखल करने पर आमादा है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से अपीलान्ट के हित प्रभावित हुए हैं । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपीलान्ट को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

7. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष-के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से अपने हित प्रभावित होना बताया है । अतः न्यायहित में प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

8. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया था इसलिए अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री की समय पर जानकारी प्राप्त नहीं हुई । उक्त निर्णय एंव डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 29.05.2016 को उसके खातेदारी की भूमि की पैमाइश कर उससे बेदखल करने की धमकी देने पर हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील पेश करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

9. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

10. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादी कम 1 लगायत 07 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा खसरा नम्बर 632 रकबा 1.62 हैक्टर आराजी के बाबत् बेदखली का पेश किया था । प्रकरण में प्रतिवादी कम 3 के द्वारा जवाबदावा पेश किया गया था । प्रकरण लोक अदालत में रखा गया जहॉ पर वादीगण, प्रतिवादी कम 1 ने राजीनामा कर लिया इसके आधार पर दिनांक 12.06.2015 को निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है । उक्त वाद में अपीलान्ट पक्षकार नहीं थी । अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया कि वादी ने कहीं भी यह नहीं लिखा है कि खसरा नम्बर 632 की आराजी उनके खाते की है, इसके बावजूद बेदखली की डिक्री पारित की गई है। प्रतिवादी कम 3 ने जवाबदावे में यह कथन किया था कि वादी की आराजी में उनका कोई कब्जा नहीं है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 12.06.2015 निरस्त फरमाया जावे।

11. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट के पति जो कि अधीनस्थ न्यायलाय में प्रतिवादी कम 3 थे उनको अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही पूर्ण जानकारी थी । पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया था । राजीनामा के आधार पर निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है । अपीलान्ट को अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है वो हितबद्ध पक्षकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.06.2015 बहाल रखा जावे ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

13. अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण क्रम 1 लगायत 07 ने- धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा आराजी खसरा नम्बर 632 रकबा 1.62 हैक्टर आराजी के लिए प्रतिवादीगण के खिलाफ पेश किया । इस दावे में प्रतिवादी क्रम 3 ने जवाबदावा पेश किया था और यह कथन किया था कि उसने वादी की आराजी पर कोई कब्जा नहीं किया है वह अपनी भूमि पर काबिज है । अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण में प्रतिवादी क्रम 1 व 2 की ओर से जवाबदावा पेश नहीं किया गया था । इसे लोक अदालत में रखा गया और लोक अदालत में एक राजीनामा पेश हुआ है । इस राजीनामे में वादी क्रम 1 लालचन्द, वादी क्रम 2 रूपचन्द, वादी क्रम 4 राधाबाई, वादी क्रम 5 छोटी बाई, वादी क्रम 7 गुलाब बाई के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी प्रतिवादी क्रम 1 के हस्ताक्षर हैं इसमें प्रतिवादी क्रम 2 व 3 एवं वादी क्रम 3 व 6 के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी नहीं हैं । इस प्रकार यह राजीनामा विधिक नहीं है क्योंकि विधिक राजीनामे में समस्त पक्षकारों की सहमति आवश्यक होती है । इस राजीनामे को आधार पर मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने दावा स्वीकार करते हुए तहसीलदार को निर्देश दिये हैं कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 632 रकबा 1.62 हैक्टर मौजा गुडाला तथा प्रतिवादी क्रम 1 के समीपस्थ खेत की पैमाईश हेतु टीम का गठन कर सीमाज्ञान करावें । यदि किसी पक्ष का एकदूसरे की भूमि पर कब्जा पाया जावे तो उसे बेदखल करें पक्षकारान की सहमति से कब्जा दिलाया जावे । अधीनस्थ न्यायालय का यह निर्णय त्रुटिपूर्ण है क्योंकि विचारण न्यायालय तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त पक्षकारों को बेदखली का आदेश स्वयं ही जारी कर सकता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 के तहत बेदखली के आदेश के अधिकार परीक्षण न्यायालय को दिये गये हैं उनको तहसीलदार को अन्तरित नहीं किया जा सकता । परीक्षण न्यायालय मौके की रिपोर्ट प्राप्त कर विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए बेदखली की डिक्री पारित कर सकते हैं । इस प्रकार अपने अधिकारों का अन्तरण तहसीलदार को नहीं कर सकते । इस दृष्टि से भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है ।

14. प्रस्तुत प्रकरण में राजीनामा समस्त पक्षकारान द्वारा हस्ताक्षरित नहीं होने से विधिक नहीं है और इसके उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.06.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारान से जवाबदावा प्राप्त कर, दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से नये सिरे से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 08.04.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

16. निर्णय आज दिनांक 20.02.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

20/2/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा